

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :- श्री जयसिंह आर.ए.एस.

मि०न० - 30/2019 (2019/00259)

अनवान : -



1. पालाराम पुत्र अर्जन जाति जाट निवासी सरदारपुराबास भोला तहसील भादरा।

प्राथी।

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र रिकॉर्ड दुरुस्ती  
अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रैवेन्यू एक्ट

उपस्थिति :- श्री जयकिशन गोदारा प्रार्थी  
राज पैरोकार अप्रार्थी

निर्णय

दिनांक : 08/01/2021

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 9 जेएसएल के वर्तमान खाता सं 271/277 के मुरब्बा नम्बर 191, 192, 210, 211 की कुल 9.6140 हैक्टेयर में प्रार्थी का नाम हरपत पुत्र अर्जन राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

प्रार्थी की उक्त कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का सही एवं वास्तविक नाम पालाराम की बजाये हरपत दर्ज रहने से प्रार्थी के हितों पर विपरीत असर पड़ता है। प्रार्थी के पिता अर्जन के हरपत नामक कोई लड़का नहीं है। प्रार्थी के आधार कार्ड, पहचान पत्र, परिवार राशन कार्ड, पैन कार्ड में भी प्रार्थी का नाम पालाराम पुत्र अर्जन दर्ज है। जिनकी फोटो प्रतियां संलग्न प्रार्थना पत्र है जिससे साफ रोशन है। इस सम्बन्ध में ग्राम पंचायत बिरमी खालसा के सरपंच द्वारा प्रमाण पत्र भी जारी किया हुआ है जो असल ही संलग्न प्रार्थना पत्र किया जा रहा है।

प्रार्थी का उपरोक्त जमाबन्दी में पालाराम की बजाये हरपत दर्ज रहने से प्रार्थी के हितों पर विपरीत असर पड़ता है। प्रार्थी अपनी कृषि भूमि पर किसान क्रेडिट कार्ड नहीं बनवा सकता और उसका बेहतर उपयोग उपभोग नहीं कर सकता। प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में दर्ज अपने नाम उक्त राजस्व रिकार्ड में अंकित अपना नाम हरपत के स्थान पर अपना सही एवं वास्तविक नाम पालाराम दर्ज करा पाने का मजाज कानूनी है।

ऊपर वर्णित कृषि भूमि से संबंधित राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम पालाराम के स्थान पर हरपत दर्ज होने से प्रार्थी राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा बैंकों से लेनदेन करने व अन्य राजकीय अनुदान आदि सभी की सरकारी योजनाओं को ऑनलाईन नाम प्राप्त करने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। प्रार्थी का नाम हरपत दर्ज रहने से प्रार्थी के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है एवं सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं से वंचित होना पड़ता है। प्रार्थी के 9 जेएसएल के वर्तमान खाता सं 271/277 के मुरब्बा

नम्बर 191, 192, 210, 211 की कुल 9.6140 हैक्टेयर में प्रार्थी का नाम पालाराम दर्ज करने से किसी भी व्यक्ति को कोई नुकसान या परेशानी नहीं होती है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद अप्रार्थी परोकार ने जवाबदावा पेश किया। जिसे शामिल पत्रावली किया गया।


साक्ष्य प्रार्थी में प्रार्थी पालाराम पुत्र अर्जन जाति जाट निवासी सरदारपुरावास भोला हॉल बिरमी खालसा तहसील राजगढ़ के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में जमाबंदी चक 9 जेएसएल सवंत 2072-75 खाता सं 271/277 प्रदर्श 1, सरपंच ग्राम पंचायत बिरमी खालसा द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रदर्श 2 प्रदर्शित करवाये गये। पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड इत्यादि की प्रति संलग्न पत्रावली की गई।

बहस सुनी गई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने 9 जेएसएल के वर्तमान खाता सं 271/277 के मुर्ब्बा नम्बर 191, 192, 210, 211 की कुल 9.6140 हैक्टेयर में अपना नाम दुरुस्त करवाने हेतु पेश किया है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि "प्रार्थी का नाम जमाबन्दी तैयार करते समय प्रार्थी का सही नाम पालाराम पुत्र अर्जन के स्थान पर हरपत पुत्र अर्जन दर्ज हो गया।" जिसके समर्थन में प्रार्थी ने प्रति आधार कार्ड, पहचान पत्र व राशनकार्ड पेश किये हैं जिनमें प्रार्थी का नाम पालाराम पुत्र अर्जन अंकित है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट का स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त रोही मौजा चक 9 जेएसएल के वर्तमान खाता सं 271/277 के मुर्ब्बा नम्बर 191, 192, 210, 211 की कुल 9.6140 हैक्टेयर में प्रार्थी का नाम "हरपत के स्थान पर हरपत उर्फ पालाराम" दर्ज कर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। किसी न्यायालय में कोई आपराधिक वाद या जांच विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था से देय बकाया हो तो उसके लिए हरपत ही प्रभावी माना जायेगा तथा नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और भविष्य में कोई अन्य तथ्य प्रकट होता हो तो प्रार्थी स्वयं जिम्मेवार होगा। तहसीलदार राजस्व भादरा को आदेश जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 08/01/2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले में सुनाया गया।



  
(प्रमोद सिंह)  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
भदरा जिला हनुमानगढ़